न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 10/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1– पप्पुराम पुत्र भंवरराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम जाजीवाल भाटीयान तहसील व जिला जोधपुर ग्रामीण.		1–भूमि अवाप्ति अधिकारी पदेन उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर 2–परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन, इकाई, जोधपुर

आर्बिटेशन आवेदन अंतर्गत धारा 3 छ (5), राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 सपठित धारा 13 भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 विरूद्ध जारी अवॉर्ड दिनांक 15.02.2022 दिनांक 31.05.2022 जो सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर द्वारा जारी किया गया।

दिनांकः 30.07.2024

उपस्थितिः–

4. श्री पी.आर. विश्नोई अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)
5. सुश्री खुशबू चौधरी अधिवक्ता (अप्रार्थीपक्ष–2)
6. अप्रार्थीपक्ष 1 अनुपस्थित

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण) राज.

पंचाट

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश क्रमांक NHAI/LA/Arb./2015 दिनांक 13.08.2015 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का संख्याक 48) की धारा 3G की उपधारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर ग्रामीण जिलें की स्थानीय सीमा में जिला कलंक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ग्रामीण को माध्यस्थम (ARBITRATOR) नियुक्त किया गया है।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (ग्रामीण)

प्रार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत आर्बीट्रेंशन प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पप्पुराम की एकल खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा नं. 363/78 रकबा 02 बीघा वाके ग्राम जाजीवाल भाटियान, पटवार क्षेत्र लोरडी पण्डितजी, तहसील व जिला जोधपुर ग्रामीण में आई हुई है। उक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 363/78 रकबा 02 बीघा मे से रकबा 0.3156 हैक्टेयर भूमि को जोधपुर रिंग रोड़ कि. मी. 0.000 से कि.मी. 30.093 तक डांगियावास–जाजीवाल–कडवड सेक्शन–2 (नागोर रोड़ डांगियावास सेक्शन–2) के सड़क मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक होने के कारण अवाप्त किये जाने हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1085 (अ) दिनांक 13.03.2020 द्वारा उपखण्ड अधिकारी जोधपुर को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) के रूप में प्राधिकृत किया गया, दिनांक 01.07.2020 को दैनिक समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करवाई गई तथा संबंधित खातेदार से आपत्तियां आमंत्रित की गई। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्राप्त आपत्तियों एवं आक्षेपों का निस्तारण करते हुए दिनांक 25.05.2021 को प्रथम अवार्ड पारित किया गया, प्रार्थी की अवाप्तसुदा भूमि का अवार्ड राशि 90,72,652/– जारी की गई, उक्त अवार्ड में प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि का खसरा संख्या 363/78 के स्थान पर खसरा संख्या 363/9 अंकित कर दिया गया और अवाप्तसुदा भूमि का रकबा भी 0.3156 हैक्टेयर के स्थान पर 0. 3654 हैक्टेयर दर्ज कर लिया गया। उक्त अवार्ड जारी होने के पश्चात प्रार्थी ने भुगतान प्राप्ति से पूर्व खसरा संख्या व रकबा गलत दर्ज होने से दुरूस्त कराने बाबत आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार, जोधपुर से रिपोर्ट तलब कर यह माना गया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 369/9 न होकर खसरा संख्या 363/78 है तथा अवाप्तसुदा भूमि का रकबा 0.3654 हैक्टेयर न होकर रकबा 0.3156 हैक्टेयर है, जिस पर दिनांक 15.02.2022 को संशोधित अवार्ड जारी किया गया जिसमें अवार्ड राशि को कम करते हुए 78,36,149/– निर्धारित की तत्पश्चात दिनांक 29.03.2022 को संशोधित अवार्ड जारी किया गया व पुनः संशोधित करते हुए दिनांक 31.05.2022 को संशोधित अवार्ड जारी किया गया। उक्त अवार्ड राशि का भुगतान प्रार्थी के द्वारा प्राप्त कर लिया गया किन्तु अवार्ड राशि में जो ब्याज की गणना दिनांक 26.06.2020 से दिनांक 25.05.2021 तक यानि कुल 333 दिनों की ही गई है, जबकि प्रार्थी को भुगतान संशोधित अवार्ड दिनांक 31.05.2022 को जारी होने के पश्चात किया गया। इस प्रकार अवाप्त सुदा भूमि के मुआवजे की राशि पर ब्याज की राशि 333 दिनों की ही जोड़ी गई है जबकि अधिसूचना जारी होने से दिनांक 31. 05.2022 तक कुल 704 दिनों का ब्याज प्रार्थी को दिया जाना चाहिए। प्रार्थी को 371 दिनो का ब्याज राशि अदा नही की गई है इस प्रकार प्रार्थी दिनांक 25.05.2021 से दिनांक 31.05.2022 तक ब्याज राशि प्राप्त करने का अधिकारी है तथा प्रार्थी के पड़ोस में स्थित अवाप्त भूमि का अधिसूचना की दिनांक से कुल 599 दिनों का ब्याज जोड़ते

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (ग्रामीण)

हुए राशि का भुगतान किया गया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.05.2021 से दिनांक 31.05.2022 तक कुल 371 दिनों के ब्याज को दिलाने की इस्तदुआ की।

आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर (10/2023) कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीपक्ष–2 की ओर से अधिवक्ता सुश्री खुशबू चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीपक्ष–1 व 2 के नोटिस बाद तामिल लौटे। अप्रार्थीपक्ष –2 की ओर से दिनांक 05.09.2023 को जवाब प्रस्तुत हुआ जो रिकॉर्ड पर लिया गया। भूमि अवाप्ति. अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर से मूल रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति मंगवाई गई। अप्रार्थीपक्ष–1 की ओर से कोई उपस्थित नही हुए।

अप्रार्थीपक्ष–2 की ओर से जवाब में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भिक आपत्तियां इस प्रकार है प्रार्थी की अवाप्तसुदा भूमि हेतु जारी अवार्ड दिनांक 25.05.2021 राशि 90,72,652/– में 333 दिवस का ब्याज सम्मिलित था जो कि दिनांक 26.06.2020 से 25.05.2021 तक का है। प्रार्थी की अवाप्तसुदा खातेदारी भूमि के क्षेत्रफल एवं खसरा नं. में त्रुटि होने से उसे सुधार किया जाकर संशोधित अवार्ड 31.05.2022 को जारी किया गया। भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 की धारा 72 में भी भूमि के कब्जे की दिनांक से अतिरिक्त राशि पर ब्याज के भुगतान को बताया गया है, इस प्रकरण में प्रार्थी को किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि नही दी गई जबकि खसरा नं./क्षेत्रफल में टंकणीय त्रुटि से अधिक राशि का मुआवजा जारी कर दिया गया था। उक्त विषय में माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण State of H.P.V Dharma Das (1995) 5 SCC 683 की भी रेफेरेन्स दिया गया। प्रार्थी द्वारा दिये गये शपथ पत्र की पेरा सं. 4 में भी उसके द्वारा मुआवजा 78,63,149/– स्वीकार करने को दर्शाया गया है। प्रस्तुत जवाब पत्र आगे बतलाया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के पद संख्या–2 में वर्णित तथ्य सही है व पद संख्या–03 में वर्णित तथ्य को अवार्ड दिनांक 25.05.2021 को जारी किया जाना तक आंशिक स्वीकार किया गया। पद संख्या–04 में वर्णित तथ्य अस्वीकार किया गया तथा पद संख्या–05 में वर्णित तथ्य को अस्वीकार कर नोटिफिकेशन जारी होने से मूल अवार्ड जारी होने तक ब्याज दिया गया ना कि संशोधित अवार्ड ज़ारी होने तक का कहा गया। अप्रार्थीपक्ष–2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने की इस्तदुआ की।

प्रार्थीपक्ष की ओर से निम्नलिखित दस्तवोज प्रस्तुत हुए:–

1– सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर द्वारा परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जोधपुर को लिखा पत्रांक 45 दिनांक 15.02.2022 मय जोधपुर रिग रोड़

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट ... राज.

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (ग्रामीण)

किमी. 0.000 से किमी. 30.093 तक (नागौर रोड़–डांगियावास सेक्सन–2) सड़क मार्ग के लिए भूमि अवाप्ति का अवार्ड (द्वितीय) दिनांक 15.02.2022 की प्रमाणित प्रति।

2– सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर द्वारा परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वियन इकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जोधपुर को लिखा पत्रांक SP I दिनांक 29.03.2022 मय जोधपुर रिंग रोड़ किमी. 0.000 से किमी. 30.093 तक (नागौर रोड़–डांगियावास सेक्सन–2) सड़क मार्ग के लिए संशोधित भूमि अवाप्ति का अवार्ड (द्वितीय) दिनांक 29.03.2022 की प्रमाणित प्रति।

3– सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्तिं) एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर द्वारा परियोजना निदेशक; भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जोधपुर को लिखा पत्रांक 127 दिनांक 31.05.2022 मय संलग्नक प्रपत्र अ की प्रमाणित प्रति।

4– सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जोधपुर को लिखा पत्रांक 92 दिनांक 28.04.2022 मय संलग्नक प्रपत्र अ की प्रमाणित प्रति।

5–ग्राम जाजीवाल भाटीयान की जमाबन्दी सम्वत 2061–2064 प्रति।

अप्रार्थीपक्ष की ओर से लिखित बहस दिनांक 05.09.2023 के साथ प्रार्थी के शपथ पत्र की प्रति प्रस्तुत की, जिसे सामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 02.07.2024 को प्रार्थीपक्ष एवं अप्रार्थीपक्ष–03 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थीपक्ष ने अपनी बहस में बतलाया कि कृषि भूमि खेत खसरा नं. 363/78 रकवा 02 बीघा वाके ग्राम जाजीवाल भाटियान, पटवार क्षेत्र लोरडी पण्डितजी, तहसील व जिला जोधपुर ग्रामीण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 363/78 रकवा 02 बीघा मे से रकबा 0.3156 हैक्टेयर भूमि को जोधपुर रिंग रोड़ कि.मी. 0.000 से कि.मी. 30.093 तक डांगियावास–जाजीवाल–कडवड सेक्शन–2 (नागोर रोड़ डांगियावास सेक्शन–2) के सड़क मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक होने के कारण अवाप्त किये जाने हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1085 (अ) दिनांक 13.03.2020 द्वारा उपखण्ड अधिकारी जोधपुर को सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) के रूप में प्राधिकृत किया गया, दिनांक 01.07.2020 को दैनिक समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करते हुए संबंधित खातेदारों से आपत्तियां आमंत्रित कर प्राप्त आपत्तियो एवं आक्षेपों का निस्तारण करते हुए भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 25.05.2021 को प्रथम अवार्ड एवं पारित किया गया जिसमें प्रार्थी की अवाप्तसुदा भूमि

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (ग्रामीण)

का अवार्ड राशि 90,72,652/– जारी की गई, उक्त अवार्ड में प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि का खसरा संख्या 363/78 के स्थान पर खसरा संख्या 363/9 अंकित कर दिया गया और अवाप्तसुदा भूमि का रकबा भी 0.3156 हैक्टेयर के स्थान पर 0. 3654 हैक्टेयर दर्ज कर लिया गया। उक्त अवार्ड जारी होने के पश्चात प्रार्थी ने भुगतान प्राप्ति से पूर्व खसरा संख्या व रकबा गलत दर्ज होने से दुरूस्त कराने बाबत आपत्ति प्रार्थना पत्र करने पर दिनांक 15.02.2022 को संशोधित अवार्ड जारी किया गया जिसमें अवार्ड राशि को कम करते हुए 78,36,149/– निर्धारित की तत्पश्चात दिनांक 29.03.2022 को संशोधित अवार्ड जारी किया गया व पुनः संशोधित करते हुए दिनांक 31.05.2022 को संशोधित अवार्ड जारी किया गया। उक्त अवार्ड राशि में जो ब्याज की गणना दिनांक 26.06.2020 से दिनांक 25.05.2021 तक यानि कुल 333 दिनों की ही गई है, जबकि प्रार्थी को भुगतान संशोधित अवार्ड दिनांक 31.05.2022 को जारी होने के पश्चात किया गया। इस प्रकार अवाप्त सुदा भूमि के मुआवजे की राशि पर ब्याज की राशि 333 दिनों की बजाय दिनांक 31.05.2022 तक कुल 704 दिनों का ब्याज देय होना चाहिए व प्रार्थी को शेष बचे 371 दिनो का ब्याज राशि दी जानी चाहिए।

अप्रार्थीपक्ष–2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में कहा कि उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 05.09.2023 पर ध्यान आकर्षित किया गया तथा प्रार्थी की अवाप्तसुदा भूमि हेतु जारी अवार्ड दिनांक 25.05.2021 राशि 90,72,652/– में 333 दिवस का ब्याज सम्मिलित था जो कि दिनांक 26.06.2020 से 25.05.2021 तक का है तत्पश्चात भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 की धारा 72 के प्रावधानों से अवगत कराते हुए कहा कि धारा 72में भूमि के कब्जे की दिनांक से अतिरिक्त राशि पर ब्याज के भुगतान को बताया गया है, इस प्रकरण में प्रार्थी को किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि नही दी गई जबकि खसरा नं./क्षेत्रफल में टंकणीय त्रुटि से अधिक राशि का मुआवजा जारी कर दिया गया था। बहस के अंत में आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, संबंधित मूल रिकार्ड की प्रमाणित प्रति का अध्ययन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से खसरा नं. 363/78 की अवाप्तसुदा भूमि 0.3156 हैक्टेयर भूमि का संशोधित अवार्ड दिनांक 31.05.2022 तक ब्याज की गणना करते हुए शेष 371 दिनों की ब्याज राशि दिलाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थी की उक्त वर्णित अवाप्तसुदा भूमि का प्रथम अवार्ड दिनांक 25.05. 2021 को राशि रूपये 90,72,652/– का मुआवजा जारी किया गया, उक्त अवार्ड में खसरा संख्या एवं क्षेत्रफल के त्रुटि के संबंध आपत्ति प्रस्तुत होने पर संशोधित अवार्ड दिनांक 15.02.2022 को राशि रूपये 78,36,149/– निर्धारित किया गया तथा 3A नोटिफिकेशन दिनांक 26.06.2020 से ब्याज की गणना कर दिया गया तत्पश्चात

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण) राज.

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (ग्रामीण)

संशोधित अवार्ड 29.03.2022 को तथा दिनांक 31.05.2022 को भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जोधपुर को पत्रांक 127 के जरिये नियमानुसार ब्याज की गणना कर अवार्ड राशि का अनुमोदन करवाने हेतु प्रेषित किया गया न कि दिनांक 31.05.2022 को पुनः संशोधित अवार्ड जारी किया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3H की उपधारा 5 के अनुसार ''Where the amount determined under section 3G by the arbitrator is in excess of the amount determined by the competent authority, the arbitrator may award interest at nine per cent, per annum on such excess amount from the date of taking possession under section 3D till the date of the actual deposit thereof'' का प्रावधान है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पत्रांक 72682 दिनांक 06.10.2015 के पैरा संख्या 2 में "A. Since there is no provision of SIA in NH Act 1956, Interest is payable from the date of publication of 3A notifiction in new papers to the date of award.'' है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी की अवाप्तसुदा भूमि खसरा नं. 363/78 की अवाप्तसुदा भूमि 0.3156 हैक्टेयर भूमि से संबंधित अंतिम संशोधित अवार्ड दिनांक 31.05.2022 को किया गया अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी पदेन उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी की निर्धारित अवार्ड राशि में ब्याज की गणना 3A नोटिफिकेशन से अवार्ड दिनांक 29.03.2022 तक ब्याज का गणना कर शेष दिवसों के ब्याज का भुगतान किया जावे। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे। पंचाट की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यंक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण) राज.

(गौरव अग्रवाल)
आर्बीट्रेटर
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर ग्रामीण

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (ग्रामीण)

यह पंचाट आज दिनांक 30.07.2024 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(गौरव अग्रवाल)
आर्बीट्रेटर
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर ग्रामीण

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (ग्रामीण)